

राजस्थान सरकार
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ0 राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर-302015

क्रमांक: F4(5)/नि.अ.मा.वि /अनुप्रति योजना./2019-20/ 19947

दिनांक :- 05/3/20

आदेश

प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं बक्फ विभाग के आदेश क्रमांक 366 दिनांक 23.05.2011 अल्पसंख्यक कल्याण योजनान्तर्गत अनुप्रति योजना संचालन नियम-2011 एवं निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ 1(15)(ii)/अ0स0निदे/अनुप्रति योजना/2010-11/3183 दिनांक 19.07.2011, 12019/13.03.2012 एवं क्रमांक प्रशास/अस्मा/2011/751 दिनांक 13.09.2011 व अतिरिक्त मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं बक्फ विभाग के पत्रांक 15353 दिनांक 27.10.2016 के क्रम में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों से वर्ष 2019-20 में आवेदकों के प्राप्त प्रस्तावनुसार उनके नाम के समक्ष अंकितानुसार प्रोत्साहन/अनुदान राशि रुपये 1,00,000/- (अक्षरे एक लाख रुपये मात्र) भुगतान करने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र 0स	छात्र का नाम	पिता का नाम	जिला	उत्तीर्ण प्रतियोगी परीक्षा	लाभान्वित का अवसर	परीक्षा आयोजक संस्था	बैंक नाम, बैंक खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड न0	स्वीकृत प्रोत्साहन राशि
01	जेनव वानो	मोहम्मद इलियास	कोटा	आर.ए.एस प्री वर्ष 2018	प्रथम	RPSC	State bank of India Branch-Rajbhawan Road Kota A/C No- 61050378852 IFSC- SBIN0031254	25,000/-
02	अजहर बेग	मजहर बेग	कोटा	आर.ए.एस प्री वर्ष 2018	प्रथम	RPSC	State bank of India Branch- Borkhera A/C No- 20459332184 IFSC- SBIN0032394	25,000/-
03	सद्वाम खान	गफूर खान	भरतपुर	आर.ए.एस प्री वर्ष 2018	द्वितीय	RPSC	The Bharatpur Central Co-Operative Bank Ltd. Branch-Bhusawar A/C No- 15010108520073613 IFSC- RSCB0015010	25,000/-
04	सलीम खान	नागु खान	वाडमेर	आर.ए.एस प्री	प्रथम	RPSC	The Barmer Central Co- Operative Bank Ltd. A/C No- 14018111110027141 IFSC- RSCB0014018	25000/-
कुल योग								1,00,000/-

(अक्षरे एक लाख रुपये मात्र)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

मौग संख्या - 33

- 2225 - अनुरूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण
04 - अल्पसंख्यकों का कल्याण
277 - शिक्षा
(01) - निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से
{01} - अनुप्रति योजना
12 - सहायतार्थ अनुदान (राज्य निधि)

(अखिलेश कुमार पिपल)

निदेशक

दिनांक :-

क्रमांक: F4(5)/नि.अ.मा.वि /अनुप्रति योजना./2019-20/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं बक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- जिला कोष कार्यालय कोटा, भरतपुर, वाडमेर।
- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कोटा, भरतपुर, वाडमेर को भेजकर लेख है कि यदि आवेदक की सरकारी सेवा में नियुक्ति हो गई हो तो प्रोत्साहन राशि भुगतान करने से पूर्व अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करे, तथा 7 दिवस में राशि भुगतान कर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रति भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।
- लेखाधिकारी/लेखा शाखा, कार्यालय हाजा को बजट आवंटन बाबत।
- संबंधित अभ्यर्थी
- रक्षित पत्रादली कार्यालय हाजा।

(संजय शर्मा)

उपनिदेशक द्वितीय